INSTRUCTION FOR STUDENT

छात्रों के लिए नीचे आवश्यक निर्देश दिये गये हैं। छात्र डॉउनलोड (Download) कर आवेदन करने के पूर्व इसे अवश्य पढ़ लें। तत्पश्चात ही आवेदन पत्र को भरें।

(1) नामांकन प्रपत्र (Admission form) भरने के पूर्व निम्न प्रमाण पत्रों को स्कैन (scan) कर (Admission Portal) पर डालना अनिवार्य है :–

(a) अंक पत्र (Marksheet) – 10वीं एवं 12वीं

(b) विद्यालय / कॉलेज परित्याग प्रमाण पत्र (School/College leaving certificate)

(c) माईग्रेशन (Migration)

(d) जाति प्रमाण पत्र (Caste certificate) (If applicable)

(e) EWS certificate (If applicable)

(f) दिव्यांग (Handicapped) (If applicable)

(2) Admission Portal पर बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित Caste and Category की सूची डाल दिया गया है। जिन छात्रों के लिए यह applicable है वो अपने Caste and Category को अच्छी तरह देखकर ही नामांकन प्रपत्र (Admission form) में Fill up करें। अन्यथा गलती भरने (Fill up) पर नामांकन प्रपत्र (Admission form) निरस्त हो जायेगा।

(3) डिग्री स्तर पर दो तरह के कोर्स (Course) की पढ़ाई होती है–

(i) प्रतिष्ठा (Honours)

(ii) सामान्य (Pass Course)

छात्र को Admission form में स्पष्ट रूप से Fill up करना होगा कि छात्र प्रतिष्ठा (Honours) कोर्स में नामांकन लेना चाहते हैं या सामान्य (Pass Course) कोर्स में।

(4) वैसे छात्र जिन्होनें XIIth (बारवीं) के Regular course में अगर VIth Paper अतिरिक्त विषय के रूप में लिया है और नामांकन VIth Paper अर्थात Extra paper में लेना चाहते है तो ऐसी स्थिति में Admission form में कुल प्राप्तांक (Total marks) VIth Paper (Extra subject) के अनुसार भरेंगे और अपना Vth Paper का अंक (Marks) कुल प्राप्तांक (Total marks) में से (–) कर भरेंगे।

(5) छात्र उसी विषय में ऑनर्स (Honours) के लिए आवेदन करेंगे जिस विषय में उन्हें Minimum 45% अंक हैं।

(6) वैसे छात्र जिनका कुल प्राप्तांक 45% से कम है लेकिन किसी विषय में 45% अंक (marks) है। उन्हें ऑनर्स (Honours) नहीं दिया जायेगा। वैसे छात्रों का नामांकन पास कोर्स (Pass course) में होगा।

(7) इन्टर (विज्ञान) I.Sc. उत्तीर्ण छात्र जिनका कुल प्राप्तांक 50% है वे B.Com. में नामांकन (Admission) ले सकते हैं।

(8) भूगोल (Geography), गणित (Mathematics) एवं सांख्यिकी (Statistics) विषय (Subject) में नामांकन वही छात्र ले सकते हैं जो इन्टर में वर्णित विषय के छात्र रहें हों।

(9) आवेदन प्रपत्र भरते समय छात्रों को दस (10) अंगीभूत (Constituent) कॉलेज एवं दस (10) सम्बद्ध (Affiliated) कॉलेज प्राथमिकता (Priority) के आधार पर चयन करना आवश्यक होगा ताकि नामांकन सुविधाजनक कॉलेज में हो सके।

(10) अगर छात्र नामांकन के लिए ऐसे विषय का चयन करते हैं जिनकी पढ़ाई विश्वविद्यालय (University) के 10 कॉलेज में नही होती है। वैसी परिस्थिति में छात्रों को विश्वविद्यालय (University) के सभी कॉलेजों का जिनमें उनके द्वारा चयनित विषय की पढ़ाई होती है का चयन प्राथमिकता (Priority) के आधार पर करना होगा।

(11) कॉलेज का चयन प्राथमिकता के आधार पर क्रमवार ढंग से सूचीबद्ध करना एक कठिन कार्य है। इसके लिए Admission Portal पर विशेष व्यवस्था की गयी है।

जैसे अगर छात्र किसी कॉलेज का चयन करते हैं तो उसी समय Portal छात्र को बताने लगेगा कि अभी तक इस कॉलेज में आपके Category के कितने छात्र नामाकन हेतु आवेदन कर चुके है। इस समय इस कॉलेज में आपके नामाकंन (Admission) की कितनी प्रतिशत सम्भावना है। इस प्रकार 10–10 कॉलेजों के चयन में Portal से छात्रों को आवेदन करने में मदद मिलेगी और संभावना को देखते हुए ही कॉलेजों की प्राथमिकता (Priority) के आधार पर चयन कर सूचीबद्ध करेंगे।

आवेदन (apply) करने के बाद छात्र को दो (02) बार कॉलेज सूची की प्राथमिकता जाँचने और उस आधार पर पुनः कॉलेज सूची में परिवर्तन करने का मौका मिलेगा, अर्थात आवेदन पत्र भरने से लेकर आवेदन करने की अंतिम तिथि के बीच छात्र कॉलेज सूची की प्राथमिकता (Priority) में दो बार परिवर्तन कर सकते हैं।

(12) Admission Portal पर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आनेवाले सभी अंगीभूत (Constituent) और सम्बद्ध (Affiliated) कॉलेजों की सूची दी गयी। सूची में कॉलेज किस –

(a) जिला (District)

(b) अनुमण्डल (Sub Division)

(c) प्रखण्ड (Block)

(d) पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय मुख्यालय से कॉलेज पहुँचने के साधन यथा– रेल/सड़क

(e) पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय मुख्यालय से कॉलेज पहुँचने की दूरी– रेल/सड़क द्वारा कितनी है।

(13) एक छात्र आवेदन करते समय अधिकतम (maximum) 03 (तीन) ऑनर्स (Honours) विषय का ही चयन कर सकते है।

(14) पूरे नामांकन प्रक्रिया (Admission system) के दौरान छात्रों को मात्र एक बार Slide up करने का अवसर मिलेगा। अन्तिम selection list में selected बच्चे को Slide up का मौका नहीं मिलेगा।

Slide up का अर्थ है कि छात्र ने प्राथमिकता (Priority) के आधार पर जिन कॉलेजों को चयनित कर सूचीबद्ध किया है। अगर 1st selection list में छात्र का चयन 10वें Priority वाले कॉलेज में होता है लेकिन छात्र कम से कम 7th Priority वाला कॉलेज चाहता है, ऐसी स्थिति मे छात्र 10वें Priority वाले कॉलेज में नामांकन न लेकर 7th Priority वाले कॉलेज के लिए पुनः आवेदन करेंगे। इसे Slide up कहा जाता है।

2nd selection list में यह जरूरी नहीं है कि Slide up के बाद छात्र को 7th Priority वाला कॉलेज मिल ही जाएगा। छात्र को 7th Priority वाला कॉलेज नही मिल पाता है तो ऐसी स्थिति में छात्र को 1st selection list में alloted कॉलेज में नामांकन लेना अनिवार्य होगा अन्यथा छात्र पूरे नामांकन प्रक्रिया (Admission process) से बाहर हो जायेंगे।

(15) Admission Portal पर सभी कॉलेज के सभी विषयों का CUT OFF दिखता रहेगा। अतः Portal से ही छात्र अपने selection का पता लगा पायेंगे।

(16) छात्र द्वारा आवेदन मे Fill up अंक (marks) के आधार पर मैरिट लिस्ट (Merit list) तैयार किया जाता है। अगर नामांकन के समय मूल अंक पत्र से मिलान करने के वक्त अगर अंकों में अंतर पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में Admission suspension में डाल दिया जायेगा।

(17) छात्र द्वारा आवेदन में fill up किये Caste and Category को आधार मान कर मैरिट लिस्ट (Merit list) तैयार कर छात्र का selection list में selection किया गया है। अगर नामांकन के समय मूल Caste certificate and Category से मिलान करने के वक्त अंतर आता है तो ऐसी स्थिति में भी Admission suspension में डाल दिया जायेगा।

उपरोक्त दोनो कंडिका 13 एवं 14 के आधार पर suspension stage में डाले गये Admission को न तो कॉलेज न ही विश्वविद्यालय द्वारा हटाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में

दिये गये e-mail.............................. पर आपको कारण बताते हुए supporting documents के साथ 24 घण्टे के अन्दर आवेदन भेजना अनिवार्य होगा।

यदि छात्र निर्धारित अवधि अर्थात 24 घण्टे के अन्दर आवेदन नहीं भेजते हैं तो उनका नामांकन रद्द करते हुए छात्र को Admission process से बाहर समझा जायेगा।

यदि छात्र निर्धारित अवधि में आवेदन भेज देते है तो अगले selection list में संशोधन (correction) कर छात्र का पुनः अगले selection list में नाम प्रकाशित किया जायेगा

(18) छात्र द्वारा नामांकन प्रपत्र भरने के दौरान यदि –

(a) नाम (Name)

(b) पिता का नाम (Father's Name),

(c) माता का नाम (Mother's Name)

(d) जन्मतिथि (Date of Birth)

(e) बोर्ड (Board)

(f) धर्म (Religion)

आदि में आंशिक त्रुटि पायी जाती हैं तो कॉलेज अपने स्तर से छात्रों से आवेदन प्राप्त कर आंशिक त्रुटि का सुधार करने के बाद ही Validation करेंगे।

आंशिक त्रुटि का कॉलेज द्वारा सुधार आवश्यक है। ऐसा नही करने पर Registration Portal पर भी ये गलती मौजुद मिलेगा।

(19) छात्रों द्वारा Admission process पूरा करने के तुरन्त बाद कॉलेज द्वारा छात्रों का Admission Validate होगा। Validation के तुरन्त बाद छात्र को Registration Portal पर जाकर अपने Registration link से Registration करना होगा। अतः कॉलेज के लिए Admission के तुरन्त बाद Admission का Validation आवश्यक हो जाता, अन्यथा छात्र सही समय पर Registration नही करा पायेंगे।

(20) Admission एवं Registration कराने के बाद ही छात्र का Admission process पूरा होगा। अर्थात छात्र Admission से Free हों पायेंगे।

(21) Registration link पर Registration कराने के बाद एवं विश्वविद्यालय में Admission process final होने के 07 दिन बाद छात्र Portal पर जाकर अपना Registration slip डॉउनलोड (Download) कर पायेंगे।

(22) छात्रों के Admission एवं Registration संबंधी किसी भी प्रकार की त्रुटियों का निवारण (correction) कॉलेज द्वारा ही किया जाएगा। इस संबंध में छात्रों को विश्वविद्यालय आने की कोई आवश्यकता नही है।

(23) विशेष परिस्थिति में वैसे छात्र जिनका selection list में selection हो गया है परन्तु बोर्ड (Board) द्वारा यथा–

(i) मूल अंक पत्र (Original Mark sheet) XIIth

(ii) मूल माईग्रेशन (Original Migration)

(iii) C.L.C./S.L.C

निर्गत नहीं किया गया है। वे अपने Online Marks sheet को प्राचार्य/प्रधानाचार्य से सत्यापित कराकर एवं स्कूल/कॉलेज के Letter Head पर माईग्रेशन (Migration) एवं C.L.C./S.L.C निर्गत नही होने का प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त विशेष परिस्थिति में उनका औपबंधिक (Provisional) नामांकन (Admission) लिया जाएगा। औपबंधिक (Provisional) नामांकन (Admission) के समय छात्र को इस आशय का एक आवेदन शपथ पत्र के रूप में देना होगा कि उपरोक्त सभी प्रमाण पत्र 30 (तीस) दिनों के अन्दर जमा कर देंगे अन्यथा यदि निर्धारित समय सीमा के अन्दर मैं अपना सभी प्रमाण पत्र (certificate) जमा नही करता हूॅ तो मेरा नामांकन स्वतः समाप्त/निरस्त हो जाएगा।

(24) ऐसे छात्रों का Admission Validation का दो stages होगा।

पहले stage में छात्र के उपरोक्त सभी documents के समक्ष No Tick लगाकर Validation होगा। दूसरे stage में 30 दिन के अन्दर छात्र द्वारा उपरोक्त documents कॉलेज में Admission Incharge के पास जमा होने बाद कॉलेज द्वारा पुनः No की जगह Yes कर उस छात्र का Validation करेंगे, अर्थात जब छात्र के द्वारा सारे documents का Yes कर Validation हो जाएगा। उसके बाद ही छात्र का Registration slip down load होगा।

(25) विश्वविद्यालय द्वारा सामान्यतः 3 (तीन) मैरिट लिस्ट (Merit list) निकाली जायेगी। सीट (seat) की उपलब्धतः रहने पर ही चौथा (4th) मैरिट लिस्ट (Merit list) निकाला जायेगा जो Open merit list होगा।

(a) Open Merit list का तात्पर्य यह है कि इस लिस्ट में किसी प्रकार का Reservesion Policy Adopt नही किया जाएगा। इस लिस्ट में केवल Merit and Choice पर ध्यान दिया जाएगा।

(b) 3rd Merit list और 4th Merit list में Slide Up का Provision नही होगा।

(26) 4th Open merit list के बाद विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिक्त सीटों के लिए Sport Admission का मौका दिया जाएगा।

Sport Admission के संबंध में विशेष जानकारी 3rd Merit list Admission के बाद विश्वविद्यालय अपने Website के माध्यम से देगा, अर्थात छात्र 3rd Merit list के बाद Sport Admission के संबंध में Admissiom portal से जानकारी लेते रहेंगे।

(27) Quota Admission के लिए भी online apply करना होगा। offline Admission का कोई प्रावधान (Provision) पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में नही है। Quota के तहत category का निर्धारण निम्न प्रतिशत के रूप में किया गया है।

(1)	Donor/Ward/NRI	-	2% (Only Son/Daughter)
(2)	Sports	-	2% (National level/State level/District level and University Championship
(3)	Fine Arts	-	2% (National level/State level/District level and University Championship
(4)	NCC/NSS	-	1%
(5)	Ward of Ex-Army	-	1%
(6)	Physically Challanged	-	3% (minimum 40% disability Horizontal reservation)

Quota Reservation के तहत Admission के लिए आवेदन करते वक्त Quota से संबंधित प्रमाण पत्र (Certifcate) अपने अन्य प्रमाण पत्र (Certifcate) के साथ portal पर Load करना अनिवार्य होगा। अन्यथा आपके आवेदन को Quota के तहत नही माना जाएगा।

(28) Reservation का लाभ सिर्फ और सिर्फ बिहार के छात्रों को मिलेगा। अर्थात बिहार सरकार के कार्यालय से निर्गत प्रमाण पत्र को ही Reservation का आधार माना जाएगा। अन्य राज्य के निवासी को Reservation लाभ नहीं मिलेगा।